



कार्यालय - वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला - चतरा, झारखण्ड - 825401

Telefax - 06541-253690, Email - cf-chatra@gov.in

सेवा में, पत्रांक - 461 दिनांक - 21/09/2024

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

विषय- टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु कुल-121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल 17.01 हे0 एवं लातेहार प्रमण्डल 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक 862 दिनांक 19.04.2024 एवं पत्रांक 1777 दिनांक 30.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु कुल-121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल 17.01 हे0 एवं लातेहार प्रमण्डल 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव ऑनलाईन एवं हार्डकापी में इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित ऑनलाईन एवं आफलाईन प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेक लिस्ट एवं प्रावधानों के अनुसार किया गया। जाँचोपरान्त कतिपय त्रुटियाँ/कमियाँ पायी गयी जो निम्नवत् है :-

1. प्रस्ताव में संलग्न ऑनलाईन पार्ट-2 में वन प्रमण्डल पदाधिकारी का नाम, पदनाम, एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
2. प्रस्ताव में संलग्न पार्ट-2 की कंडिका II(c) में Area of forest land in volved in violation (in ha) : 0.25 है जिसमें Designation & Address of person responsible for violation में Darbhanga House CCL Ranchi अंकित किया गया है जबकि मगध ओ0सी0पी0 का Controlling Office Project Office Magadh, Kuudi, Tandwa, Chatra, Jharkhand है। इस प्रकार Office Name Change करने की आवश्यकता है।
3. ऑनलाईन पार्ट-2 की कंडिका 14 में CA हेतु भरी गई डाटा में Non forest land (in ha) में 0 अंकित है जबकि मैनुअल पार्ट-2 में CA हेतु Non forest land (in ha) में 53.79 अंकित है इसे स्पष्ट किया जाय।
4. प्रस्ताव में संलग्न आपके द्वारा Violation in Magadh Railway Siding (Chatra Part) के कॉलम में NFL (in ha) में Actual Area 17.01 and Area under violation में 0.25 अंकित है तथा GMJJ (in ha.) में Actual Area 0.00 ha. and Area under violation में 0.00 हे0 अंकित है तो फिर Total Area (NF+GMJJ) 17.01 किस आधार पर अंकित किया गया है, स्पष्ट करें। साथ ही Total Violation (NF+GMJJ) 0.25 Ha. अंकित किया हुआ है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि 0.25 हे0 रकबा 17.01 हे0 में ही सन्निहित है या इसके अलावे 0.25 हे0 GMJJ का रकबा है, इसे भी स्पष्ट किया जाय।

5. प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दसवर्षीय प्राक्कलन 352.38 की मजदूरी दर से तैयार किया हुआ है जबकि यह मजदूरी दर कभी रहा ही नहीं है। अभी वर्तमान में 12.09.2024 से 405 रु0 के मजदूरी दर निर्धारित है तथा इसके पूर्व 386.01 रु0 की मजदूरी दर था। संशोधित दसवर्षीय प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. ऑनलाईन पार्ट-1 की कंडिका B-2.4 component wise break-up में Safety zone के लिए 1.14 हे0 forest land लिया गया है जबकि विषयगत प्रस्ताव रेलवे साईडिंग का है तो Safety zone की क्या आवश्यकता है, स्पष्ट करें। साथ ही 115 हे0 others के लिए forest land लिया गया है जो नियम संगत उचित नहीं है। अन्य कार्य हेतु इतने बड़े वनभूमि को उपयोग हेतु देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसे भी स्पष्ट किया जाय।
7. प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दिखाये गये कैंडस्ट्रल मैप पर ट्रेंच की लम्बाई अंकित नहीं है तथा कुल रकवा 78.117 हे0 तथा शुद्ध रकवा 70.00 हे0 अंकित है जबकि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दसवर्षीय प्राक्कलन एवं डी0जी0पी0एस0 मैप में शुद्ध रकवा 35.29 हे0 अंकित है, दोनों में विरोधाभासी है, इसे स्पष्ट किया जाय।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित भूमि विवरण जिसे संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है की हस्ताक्षरित प्रति Additional document के रूप में ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है जो नहीं किया गया है। इसे अपलोड किया जाय।
9. ऑनलाईन पार्ट-2 की हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाईन पार्ट-2 के Additional information में अपलोड करना अनिवार्य है जो नहीं है। इसे अपलोड किया जाय।

अतः आपके द्वारा समर्पित ऑफलाईन एवं ऑनलाईन प्रस्ताव को इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि उल्लेखित त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित ऑफलाईन एवं ऑनलाईन प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,



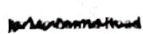
वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चतरा।

 24/09/2024

प्रमाणित:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल
दिनांक 19/09/2024

उपनिर्देश:- परिमो जल पदाधिकारी, मंत्रालय झारखण्ड, राँची से
प्रमाणित एवं सत्यापित करके हेतु उपरि उल्लेखित प्रस्ताव को
निदेशक वन-मंत्रालय उन्निवेश मंत्रालय (राँची) से
उपनिर्देशित प्रमाणित किया जाये।





वन प्रमण्डल पदाधिकारी

चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल